संख्या-148/2015/20आ.न.यो./9-8-15-01आ.न.यो(बजट)/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-मल्लावां, जनपद-हरदोई/नगर पालिका परिषद-सरसावां, जनपद-सहारनपुर/नगर पालिका परिषद-सोरों, जनपद-कासगंज/नगर पालिका परिषद-ककराला, जनपद-बदायूं।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पालिका परिषदों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 04 नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष सम्बन्धित निकायों के सम्मुख अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 122.32 लाख (रूपये एक करोड़ बाइस लाख बत्तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा 03 दिन के अन्दर बिल बनाकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को आगामी 03 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जायेगा

http://shasanadesh.up.nic.in

अवमुक्त धनराशि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु निकाय द्वारा खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आगामी 03 दिवस के अन्दर सीधे जमा की जायेगी।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(5) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(6) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(15) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-148/2015/20(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सी.एण्ड डी. एस., उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-148/2015/20आ.न.यो./नौ-आठ-2015-01आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 04 फरवरी,2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	हदरोई	न.पा.प. मल्लावां	वार्ड नम्बर-13 भगवन्तनगर में श्यामसिंह के मकान से राजकुमार कुरील के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	07.25	07.25		
			वार्ड संख्या-14 भगवन्तनगर में वीरेन्द्र ठाकुर के मकान से अम्बिका मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	06.51	06.51		
			वार्ड संख्या-18 बन्दीपुर प्रमोद के मकान से साहबलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	06.28	06.28		
			वार्ड संख्या-17 मोहिउद्दीनपुर रामनाथ कहार के मकान से गुलाम रसूल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	05.88	05.88		
			योग-		**25.92**	**25.00**	**12.50**
2	सहारनपुर	न.पा.प. सरसावां	सहारनपुर रोड पर सुधीर नक्शे वाले की दुकान से चांद धर्म कांटा तक साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	19.64	19.64		
			योग-		**19.64**	**19.64**	**09.82**

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-148/2015/20आ.न.यो./नौ-आठ-2015-01आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 04 फरवरी,2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
3	कासगंज	न.पा.प. सोरों	श्री घनश्याम शास्त्री के घर से सूर्यकुण्ड होते हुए बसन्तनगर पुलिया तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	31.52	31.52		
			भगतसिंह पार्क से छावनी धर्मशाला तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	31.52	31.52		
			एक मीनार मस्जिद से अब्दुल वाजिद अंसारी के घर तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13.75	13.75		
			मो0 मलकाना अल्पसंख्यक वस्ती में 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	20.62	20.62		
			श्री कैलाश चन्द्र एडवोकेट के घर से श्री प्रभुदयाल पण्डा के घर तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	25.21	25.21		
			मौ0 चक्रतीर्थ मलिन वस्ती में 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	18.33	18.33		
			सौन्दर्यीकरण पं0 जवाहर लाल नेहरू पार्क संत तुलसीदास म्यु0 इण्टर कालेज सोरों	12.62	12.62		
			योग-		**153.57**	**150.00**	**75.00**
4	बदायूं	न.पा.प. ककराला	नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट हेतु एल0ई0डी0 प्लूड लाईट 25 वाट का क्रय।	53.39	53.39		
			योग-		**53.39**	**50.00**	**25.00**
			कुल योग-			**244.64**	**122.32**

(रूपये एक करोड़ बाइस लाख बत्तीस हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in